Rajasthan High Court, Jodhpur Limited Competitive Examination for Promotion in the cadre of District Judge Date: 06.05.2012

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर जिला न्यायाधीश केडर में पदोन्नति हेतु सीमित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक: 06.05.2012

> Paper III – Language प्रश्न पत्र III – भाषा

Time: Two hours समय: दो घण्टे Maximum Marks: 50

पूर्णांक : 50

INSTRUCTIONS

- Write the required particulars only on the flap provided on the top of each answer book; and at no other place.
- If the candidate makes any identification mark at any place in the answer book, it would be treated as using unfair means. The candidature of the candidate for the entire examination shall be rejected if he is found doing so.
- A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render himself liable to disqualification.
- Attempt all questions.
- Attempt answers only in the language, English or Hindi, as required by the question.

निर्देश

- अपेक्षित विवरण केवल उत्तर पुस्तिका के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें;
 अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अन्दर किसी भी स्थान पर कोई भी पहचान चिन्ह अंकित किया जाता है तो यह अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
- 4. सभी प्रश्न हल करें।
- प्रश्न द्वारा अपेक्षित भाषा, अंग्रेजी या हिन्दी, में ही उत्तर दीजिये ।

Part A - भाग अ Translation – अनुवाद

Question No.1 : Translate the following passage in English. (15 marks) प्रश्न सं. 1 : नीचे दिये गये लेखांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिये । (15 अंक)

आज के युग में विद्यार्थी हो या कोई अन्य, अपने आप को राजनीति से एकदम अलग नहीं रख सकता। लेकिन आज का राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार की उद्घण्डता और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर रह गया है, सोचना आवश्यक हो जाता है कि भविष्य के नागरिकों, भविष्य में देश की बागडोर हर क्षेत्र में सम्भालने वाले आज के विद्यार्थियों को इस प्रकार की राजनीति में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं।

एक विचार यह है कि विद्यार्थियों को हर प्रकार की राजीनीति से दूर रह कर केवल अध्ययन में मन लगाना चाहिए ताकि उन का मन-मस्तिष्क तरो-ताजा और स्वस्थ रह सके, जिस से भविष्य में वे अच्छे नागरिक सिद्ध होने के साथ-साथ हर क्षेत्र में देश की बागडोर भी सफलता के साथ सम्भाल सके। दूसरा विचार यह सामने आया है; क्योंकि कल को विद्यार्थियों ने ही बड़े होकर राजनीति करनी है, इस कारण उसका अभ्यास उन्हें आज से ही आरम्भ कर देना चाहिए अर्थात विद्यार्थीं को हर प्रकार की राजनीति में खुद भाग लेना चाहिए। तीसरा विचार यह है कि विद्यार्थीं को राजीनित के क्षेत्र में भी अन्य पढ़ाई की तरह विद्यार्थीं बने रह कर ही भाग लेना चाहिए अर्थात् सभी प्रकार की राजनीतिक गति- विधियों को गहराई से देख समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका कोई अपना स्वस्थ राजनीतिक दृष्टकोण विकास पा या बन सके।

इन सभी प्रकार के विचारों पर गम्भीरता से विचार करने पर हमें अन्तिम विचार ही उचित प्रतीत होता है। यदि वे अपनी पढ़ाई करते हुए राजनीति के सभी रूपों का अध्ययन करते रहेंगे, तो स्वस्थ राजनीतिक मार्ग का निर्णय कर पाने में समर्थ होकर कल को वास्तव में देश की बागडोर सम्भाल पाएँगे। सो हम तो अपने साथियों को यही सलाह देना चाहेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से भी वे विचार्थी अर्थात् अध्ययन करने वाले ही बने रहें। इसी में उनका तथा देश- जाति का भी भला है।

Question No.2: Translate the following passage in Hindi. (15 marks) प्रश्न सं.2: नीचे दिये गये लेखांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिये। (15 अंक)

In reading any judgment you must consider: what is the judge's objective, and what means for achieving this is he proposing? His objective is to persuade you that his decision is justified; the method he uses is advocacy, just as much as those who appear before him. His argument appeals to the mind, to reason, to the senses and to emotion, to gain direction of your will. Ultimately the effect of the judgment will turn on whether or not you accept his argument.

In the nature of practical things men have to be persuaded to think and act in a certain way. The person who reads intelligently and knows basic terms, propositions and arguments, will always be able to detect oratory and to spot passages that make an emotive or over-elaborate use of words. You yourself will look for reasoning, and assess whether it is either good or not, in relation to the material facts.

For the purpose of fair criticism we need to consider, in broad terms, the questions, what does the judge want to prove? Whom does he want to convince? what special knowledge does he assume? What special language does he use? Does he really know what he is talking about - enough to give a fair and balanced view of the situation? We recognize that a judge cannot suppose, guess, hypothecate or estimate except under very carefully controlled circumstances. We are therefore entitled to investigate his assumptions, starting from the position that there may always be a doubt whether they are reasonable or not, particularly in circumstances where historical facts prove elusive; or where there has been a condensation of the detailed evidence or information provided in the judgment, such that it is possible to argue what has been left out becomes critical.

Part B - भाग ब Precis – सारांश-लेखन

Question No.1: Write the precis of the following passage in Hindi with a suitable title. (10 marks)
प्रश्न सं.1: नीचे दिये गये लेखांश का हिन्दी में सार उपयुक्त शीर्षक सहित लिखिये। (10 अंक)

घर, आज के सभ्य समाज में उस स्थान विशेष को कहा जाता है, जहाँ कोई मनुष्य आरम्भ से रहता है। परिवार उसके साथ रहने वाले अन्य लोगों-माता-पिता, आई- बहन, पुत्र-पौत्र, पत्नी- बेटी आदि को कहा जाता है। वास्तव में इन सब के सहयोग से ही घर बनता, सुख का अपनत्व भरा स्थान प्रतीत होता और घला भी करता है। इसी कारण घर का अर्थ सब प्रकार से सजे-धजे कमरों वाला मकान नहीं है, मात्र रोटी- पानी, खाने-पीने और सोने की जगह नहीं है। यह सब तो व्यक्ति को किसी सराय, होटल या ढाबे में भी मिल सकता है परन्तु इन सब जगहों को घर नहीं कहा जाता। वह इसलिए कि उन जगहों पर वह अपनापन, वह प्यार नहीं मिल पाता जो केवल घर में ही मिल पाता है। बाहर यार-दोस्त, रिश्ते-नाते भी बन या मिल सकते हैं; पर परिवार नहीं मिल सकता। वह केवल अपने घर में ही मिल सकता है। इसी कारण घर-घर ही होता है और सभी एक अदद घर की कामना किया करते हैं।

ऐसा क्यों है ? प्रश्न स्वाभाविक ही कहा जाएगा। उत्तर भी सरल और स्वाभाविक ही है। वह यह कि घर वह स्थान है, जिस के प्रति आदमी के मन में एक भावात्मक लगाव रहता है। उस की प्रत्येक ईट, घास के तिनके तक से उसका अपनत्व जुड़ा रहा करता है। परिवार उन लोगों को कहा जाता है कि भावात्मक स्तर पर जो व्यक्ति के अपने ही प्रतिरूप या अपने एक ही शरीर के अलग-अलग अवयव (अंग, हिस्से) हुआ करते हैं। उनके लिए वह हर प्रकार से समर्पित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए वह अपना तन-मन आदि सर्वस्व न्योद्धावर कर सकता है। उसके सब के बाहर व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की सत्ता एवं अस्तित्व की कल्पना तक नहीं कर सकता। यदि कोई कर सकता है, तो सामान्यतः उसे सामान्य आदमी नहीं समझा जाता।

व्यक्ति के जीवन में जो महत्व देश और उसके समाज का भी हुआ करता है। देश एक विशाल घर है, समाज एक विशाल परिवार है। अपने छोटे से घर-परिवार से भावात्मक लगाव रख सकता है। उसके लिए समर्पित हो सकता है। घर परिवार से ही व्यक्ति को मात्र अपने लिए कुछ करने, मात्र अपने लिए ही जीवित न रहने की शिक्षा प्रेरणा मिल पाती है; लेकिन खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि आज घर परिवार के प्रति भावात्मक समर्पण का वह भाव व्यक्ति में नहीं रह गया। यही कारण है कि आज देश और समाज के प्रति भी व्यक्ति में दायित्व बोध का अभाव हो गया है। रह गया है केवल मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ- साधना का भाव; िजसेघर- परिवार, देश और समाज किसी के लिए भी शुभ नहीं कहा जा सकता।

Question No.2: Write the precis of the following passage in English with a suitable title. (10 marks)
प्रश्न सं.2: नीचे दिये गये लेखांश का अंग्रेजी में सार उपयुक्त शीर्षक सहित लिखिये। (10 अंक)

The right to cross-examine belongs to an "adverse" party and a person who is not an "adverse" party should not be allowed to intervene in the proceedings and to take part in the cross-examination of the witnesses. When two or more persons are tried on the same indictment and are separately defended, any witness called by one of them may be cross-examined on behalf of the others, if he gives testimony tending to criminate them. The counsel, too, for the other prisoners are entitled in such case to rely upon his evidence.

A defendant may cross-examine a co-defendant or any other witness who has given evidence against him, and rely on such evidence, though there is no issue joined between them. And the same right exists between the respondent and co-respondent in divorce case. The right of one accused or defendant to cross-examine a witness produced by a co-accused or a co-defendant is

based on the assumption that all evidence taken in examination-in-chief or in examination, is common, and open to all the parties. Therefore, if evidence given by one party may be used for or against another party, the latter must have a right to cross-examine. Where the defences of a corespondent or co-defendant and the respondent or the defendant are identical, neither is entitled to crossexamine the other. It is only where the evidence of a co-defendant or a co-respondent is adverse to the defendant or the respondent that the defendant or respondent has the right to cross-examine. Where some defendants support the plaintiff's case, and others oppose it, the former should be ordered to crossexamine the plaintiff's witness first. Where the same witness is cross-examined on behalf of different parties and during the course of it he makes a statement damaging to the case of one of the parties who had already cross-examined him, the latter party entitled to cross-examine the witness with reference to the statement so made.

In the trial of warrant cases, the accused after the charge has been read and explained, has the right to recall prosecution witnesses and to further crossexamine them, and he is entitled to do so even if he has entered on his defence, unless the Court considers that the purpose of the application to recall the prosecution witnesses at such a late stage is to vex, or to defeat or delay the ends of justice.
